रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 527] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 1974/पौष 10, 1896

No. 527] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 1974/PAUSA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

Central Secretariat Library Govt. of India

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue and Insurance)**

NOTIFICATION

CUSTOMS

*New Delhi, the 31st December 1974*

**S.O. 744(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52-Customs, dated the 6th April, 1972, namely:—

In the said notification,—

(i) in the proviso to the first paragraph, in clause (c)—

(a) for the words "one month", the words "one year" shall be substituted;

(b) for the words "Collector of Customs", the words "Central Board of Excise and Customs" shall be substituted;

(ii) in paragraph 2, for the figures, letters and word "31st December, 1974", the figures, letters and word "30th June, 1975" shall be substituted.

[No. 96/F. No. 555/61/74-I.C.I.]

D. SARUP, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व और बीमा विभाग)

## अधिसूचना

## सीमा -शुल्क

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1974

**का० आ० 744(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्तमंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52—सीमाशुल्क, तारीख 6 अप्रैल, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) प्रथम पैरा के परन्तुक में, खण्ड (ग) में—

(क) "एक मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "सीमाशुल्क कलेक्टर" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 2 में, "31 दिसम्बर, 1974" अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 1975" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 96/फा० सं० 555/61/74—एल० सी० आई०]

डी० सरूप, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974